न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 02/2021

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पालडी एम जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री जगदीश उर्फ जगराम पुत्र श्री मुकनाराम जाति जाट निवासी बुठ राठौड़ान पुलिस थाना चौहटन जिला बाडमेर हाल विरात्रा होटल सरहद वेरा विलपुर पुथा पालडी एम जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 18.07.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 06.01.2020 को विरात्रा होटल सरहद वेरा विलपुर पुथा पालडी एम के होटल परिसर में कुल 590 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। बिना परमिट एवं उचित कारण के डीजल कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होना से डीजल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री हरजीराम चौधरी ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी, परन्तु दिनांक 17.06.2022 को इनके द्वारा नो–इंस्ट्रक्शन व्यक्त किया गया।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 06.01.2020 को विरात्रा होटल सरहद वेरा विलपुर के होटल संचालक श्री जगदीश उर्फ जगराम पुत्र श्री मुकनाराम जाति जाट निवासी बुठ राठौड़ान पुलिस थाना चौहटन जिला बाडमेर हाल विरात्रा होटल सरहद वेरा विलपुर पुथा पालडी एम जिला सिरोही द्वारा डीजल अवैध तरीके से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से उनके कब्जे वाले होटल परिसर में कुल 590 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। कुल 590 लीटर डीजल अवैध भरा हुआ पाया गया एवं अप्रार्थी से डीजल से सम्बन्धित अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसंस के डीजल का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण का आदेश नहीं

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:20:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुए है। यह है कि कब्जे सरकार लिए गए कुल 590 लीटर अवैध डीजल व कन्ट्रोल सैम्पल व नमूना सैम्पल के शेष 580 लीटर डीजल जरीकनों में बच होने से उक्त डीजल का निस्तारण करना फरमावें। अतः डीजल ज्वलनशील पद जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भाव अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हरजीराम चौधरी ने जरिए वकालतना उपस्थिति दी, परन्तु इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं गया एवं दिनांक 17.06.2022 को नो–इस्ट्रंक्शन व्यक्त किया गया। अतः प्रक एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवल किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 06.01.2020 को विरात्रा सरहद वेरा विलपुर के होटल संचालक श्री जगदीश उर्फ जगराम पुत्र श्री मुक जाति जाट निवासी बुठ राठौडान पुलिस थाना चौहटन जिला बाड़मेर हाल नि होटल सरहद वेरा विलपुर पुथा पालडी एम जिला सिरोही द्वारा डीजल अवैध से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से उनके कब्जे वाले होटल परिसर में 590 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया था। इस प्रकार कुल 590 लीटर डीजल के ड्रमों में अवैध भरा हुआ पाया गया एवं कब्जे सरकार लिए गए 590 लीटर डीजल जो वाद कन्ट्रोल सैम्पल व नमूना सैम्पल के शेष 580 लीटर डीजल बचा था। अप्रार्थी से उक्त डीजल एवं पेट्रोल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे में तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया। इस संबंध में अ द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बिना लाइसेंस अवैध रूप से डीजल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/ तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वी किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये डीजल को समयपहरण (Confiscate) करने आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए डीजल का निस्त नियमानुसार उपभोक्ताओं को विक्रय कर प्राप्त राशि राजकीय राज जमा कराने की कार्यवाही करें एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया

(डॉ. भँवर लाल)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:20:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner